न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/88/2024	18.12.2024	19.02.2025

1–इलियास पुत्र मेघमल जाति मेव निवासी ग्राम पथरेडी तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

1–जमील,
2–साहुन,
3–इकबाल पुत्रान फजरू
4–हुसैना पुत्र चाहत
4–बरकत पुत्र इब्राहिम
5–शब्बीर,
6–पप्पू,
7–जहीर पुत्रान इब्राहिम जाति मेव निवासीगण ग्राम पथरेडी तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)
8–उपखण्ड अधिकारी टपूकडा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

असल अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री अरविंद यादव –वकील प्रार्थी

02. श्री सरजीत सिह यादव –वकील अप्रार्थी संख्या 7

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टपूकडा में विचाराधीन बअनुवानी पत्रावली इलियास बनाम जमील को किसी दीगर राजस्व न्यायालय में मुन्तकिल किए जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुऐ निवेदन किया है, कि तहत अदालत के समक्ष एक राजस्व वाद संख्या 1719/2023 बउनवान इलियास बनाम जमील अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विचाराधीन है, जिसमें आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी की बहस 11.12.2024 को सुनी गयी। इससे पूर्व तारीख पेशी दिनाक 29.11.2024 थी, आर्डर शीट पर असल रेस्पोडेन्ट संख्या 9 पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नही है, और न ही पत्रावली में दिनाक 11.12.2024 की आदिनाक तक भी कोई आर्डर शीट लिखी गयी है, जिससे यह जाहिर होता है, कि असल अप्रार्थी संख्या 9 पीठासीन अधिकारी के द्वारा उक्त पत्रावली में आर्डर शीट न लिखकर कोई फर्दर कार्यवाही करते हुये आर्डर शीट लिखने की जुस्तजू में है। उनवानी प्रकरण की पत्रावली में रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 8 को कई बार असल रेस्पोडेन्ट संख्या 9 पीठासीन अधिकारी के चैम्बर से निकलते हुऐ व बाते करते हुऐ देखा है, तथा असल रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 8 ने आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी का आदेश होने से पूर्व ही गांव में लडडू बांटे ओर कह रहे थे कि पीठासीन अधिकारी से हमारी अच्छी सांठ–गांठ हो गयी है और आर्डर 7 रूल 11 का आदेश भी फेवर

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा

में लिखा जा चुका है, और तारीख पेशी 18 को केवल मात्र फारमल्टि पूरी करनी है। तथा दावे को भी खारिज कराकर विवादित जमीन पर जबरन कब्जा करेगे, जिससे अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 व अप्रार्थी संख्या संख्या 9 पीठासीन अधिकारी के आपस में साजवाज होने की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता है, साथ ही प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 9 पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की कोई उम्मीद शेष नही रह गयी है। तहत अदालत के समक्ष विचाराधीन वाद में दिनाक 11.12.2024 को प्रार्थी के वकील की तबीयत सही नही होने के करण प्रकरण में आगामी तारीख पेशी नियत किये जाने का निवेदन किया गया था, परन्तु अप्रार्थी संख्या 9 पीठासीन अधिकारी के द्वारा यह कहा गया कि अगर आपके द्वारा बहस नही की गयी तो आपको सुने बगैर ही आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी का आदेश कर दिया जावेगा। जिससे भी अप्रार्थी संख्या 9 पीठासीन अधिकारी का अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 से साजबाज होने की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता है। दिनाक 16.12.2024 को प्रार्थी के द्वारा प्रकरण की प्रमाणित नकल चाही गयी तो नकल देने में भी असल अप्रार्थी संख्या 9 पीठासीन अधिकारी के द्वारा आनाकानी की गयी। जिससे भी अप्रार्थी संख्या 9 पीठासीन अधिकारी का अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 से साजबाज होने की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 9 पीठासीन अधिकारी के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 को आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी के आदेश होने से पूर्व ही उनके पक्ष में करने का पूर्ण आश्वासन दिया हुआ है, जिससे भी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 ने गांव में डिंग हाकते हुऐ गांव वालो के सामने सरेआम यह बात कही थी। जिससे भी अप्रार्थी संख्या 9 पीठासीन अधिकारी का अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 से साजबाज होने की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता है। इस लिये भी उक्त राजस्व वाद को दीगर राजस्व न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 7 ने लिखित जवाब पेश किया गया। विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 7 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि तहत अदालत के समक्ष विचाराधीन राजस्व वाद में आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी की बहस दिनाक 11.12.2024 को सुनी गयी। उससे पूर्व दिनाक 29.11.2024 तारीख पेशी नियत थी, जिस आर्डर शीट पर अप्रार्थी संख्या 9 पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नही है, सरासर गलत दर्ज किया गया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने पदीय हैसियत के अनुसार अपने दायित्वो का निर्वहन किया गया है तथा दिनाक 11.12.2024 को प्रार्थी व अप्रार्थीगण मय अधिवक्ता की मौजुदगी में बहस सुनी गयी, तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने रीडर से आर्डरशीट लिखवाई गयी है, जिसमें किसी तरह की संदेहस्पद स्थिति प्रकट नही होती है। अप्रार्थी कभी भी पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में नही गये, और न ही चैम्बर में कभी आना–जाना रहा है, और न ही गांव में लडडू बांटे गये प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी के विरूद्व मिथ्या आरोप लगाकर तथ्य दर्ज किये गये है। आर्डर 7 रूल 11 का कोई आदेश पारित नही हुआ है, अप्रार्थी पीठासीन अधिकारी से साज–बाज नही है, और न ही होने का कोई प्रश्न पैदा होता है। पीठासीन अधिकारी अपनी निष्पक्ष शैली से कार्य कर रहे है। दिनाक 11.12.2024 को प्रार्थी के अधिवक्ता की तबीयत खराब होने बाबत तथ्य दर्ज किये है, प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बीमारी होने का ऐसा कोई दस्तावेज दिनाक 11.12.2024 का पेश नही किया है, जबकि दिनाक 11.12.2024 को प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रार्थी का पक्ष रख की है। जब प्रार्थी के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी के समक्ष बहस कर रहे है, तो पीठासीन अधिकारी से साज बाज होने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। प्रार्थी का प्रकरण प्राईमाफेसाई आयद व साबित नही है, क्योकि माननीय सिविल न्यायाधीश (व.ख) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलवर में बउनवान भूमि अवाप्ति अधिकारी रीको बनाम जीमल आदि के नाम से रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 18 व 31 (2) भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 विचाराधीन है। जब आराजी के संबंध में कोई प्रकरण पूर्व में ही विचाराधीन/सबज्युडिस है। रीको द्वारा जमीन को अवाप्त कर लिया है, और अवाप्त भूमि का रेफरेन्स विचाराधीन है। इस लिये प्रार्थी का वाद बार्ड बाई लॉ की श्रैणी में आता है, जिस कारण प्रार्थी ने गलत तथ्यो के आधार पर पीठासीन अधिकारी पर मिथ्या आक्षेप लगाकर यह झूठा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

प्रस्तुत प्रकरण में वर्णित तथ्यो पर तहत अदालत से टिप्पणी प्राप्त की गयी। तहत अदालत ने जर्ये पत्राक 14 दिनाक 03.01.2025 के द्वारा अपने जवाब में अंकित किया है, कि राजस्व वाद उनवानी प्रकरण संख्या 1719/2023 विचाराधीन है, पीठासीन अधिकारी द्वारा पत्रावली की आदेशिकाऐ रोजाना कोर्ट टाईम में लिखी जा रही है, पीठासीन अधिकारी का न तो किसी पक्षकार से संपर्क में है, न ही कोई नियम विरूद्व कार्यवाही की गयी है। दिनाक 11.12.2024 को अभयपक्ष अधिवक्ता की सहमति के बाद ही

जिला कलक्टर
ल-तिजारा

बहस सुनी गयी है। शेष तथ्य मनगढंत है, प्रकरण में न्यायोचित कार्यवाही की जा रही है। यदि वाद को सुनवाई के लिए अन्य दिगर राजस्व न्यायालय को मुन्तकिल किया जाता है, तो कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकुलाय की बहस पर मनन किया। प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल के साथ संलग्न दस्तावेज/वकील अप्राथी संख्या 7 के द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड से जाहिर है, कि तहत अदालत के समक्ष एक राजस्व वाद उनवानी प्रकरण संख्या 1719/2023 विचाराधीन है, विचाराधीन राजस्व प्रकरण में तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिवत कार्यवाही की जा रही उसके बावजूद भी प्रार्थी द्वारा गलत तथ्य दर्ज कर उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय को पेश किया गया है। अप्राथी संख्या 7 को बेजा रूप से पेरेशान व प्रकरण को अनावश्यक विलम्बित बनाये रखने हेतु पेश किया गया है, प्रार्थी द्वारा अपने कथन की पुष्टि में कोई विधिक दस्तावेज/साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए गये हैं, जिनके अभाव में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो पर विश्वास किये जाने योग्य नही है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है, निर्णय की प्रति तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी टपूकडा को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज०)

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा